



ओबीसी का उप-वर्गीकरण

प्रलिस के ललल:

[अन्य पछलडल वरग \(OBC\) के उप-वरगीकरण के ललल आयोग, मंडल आयोग, 102वाँ संवधलन संशोधन अधनललम](#)

मेन्स के ललल:

भरत में OBC आरकषण की स्थतलकल ऐतहलसकल वकलस, OBC के उप-वरगीकरण की आवश्यकतल

चरुल में कुवल?

[नूतलतूरतल जी. रूहणल की अधुयकुषतल वलले आयोग](#) ने लगभग छह वरुष बलद अन्य पछलडल वरग (OBC) की जलतलतलल के उप-वरगीकरण के ललल लंबे समय से प्रतलकुषतल रलरलरुतल सलमलजकल नूतलतल और अधकलरतल मंतरललतल कु सूँप दी है ।

- हललूकल सकलरलशलल कल ववलरण अभी तक सलरुवजनकल नूहल कतलतल गतल है और उतुतुीद है कल सलरकलर कलसल भी कलरूतलनवतन से पूरुव रलरलरुतल पर वकलर-वतलरुश करेगी ।

रूहणल आयोग के बलरे में:

- परकलतल:
 - इस आयोग कल गठन 2 अकुतूबर, 2017 कु संवधलन के अनुकुषेद 340 (पछलडे वरगूँ की स्थतलतललल की जलूँच के ललल आयोग नतुकुत करणे की रलषुतरपतलकी शकुतल) के तहत कतलतल गतल थल ।
- संदरुभ शरुतूँ:
 - कूँदरूतल सूकुी में सूकुीबदुध OBC के बीच ललभ के असतलन वतलरण की जलूँच करनल ।
 - OBC के भीतर उप-वरगीकरण के ललल एक वैजुतलनकल दृषुतकुललण के सलथ तलपदंडूँ कल प्रसुतलव करनल ।
 - संबंधतल जलतलतलल अथवल सतुदलतलल कु उनकुी संबंधतल उप-शुरेणतललल में पहकुलननल एवं वरुगीकुत करनल ।
 - OBC की कूँदरूतल सूकुी में प्रवषलतललल कल अधुयतन करनल, सलथ ही पुनरलवृतुतल, असुपषुततल, वसलंगतललल एवं वरुतनी अथवल प्रतललखन में तुरुतललल के ललल सुधलर की सकलरलशल करनल ।

OBC के उप-वरगीकरण की आवश्यकतल:

- OBC कु कूँदर सरकलर की नूकरतललल और शूकुषणकल संसुथलनूँ में [27% आरकषण](#) तललतल है, लेकनल ऐसल तलनल जलतल है ककलवल कुकु प्रतुख जलतल सतुतूँ कु ही इस कुतल से ललभ तललतल है ।
- वरुष 2018 में आयोग ने पछलले वरुषूँ में 1.3 ललख कूँदरूतल सरकलरल नूकरतललल और कूँदरूतल उकुु शकुषल संसुथलनूँ में OBC प्रवेश के डेतल कल वशल्लेषण कतलतल थल जसलसे तलतल कुल कल 97% ललभ केवल 25% OBC जलतलतलल कु तललल है ।
- लगभग 983 OBC सतुदलतलल (कुल कल 37%) कल नूकरतललल और शूकुषणकल संसुथलनूँ में शूनूतल प्रतनलधलतलव थल, कु उप-वरगीकरण की आवश्यकतल कु उजलगर करतल है ।
- उप-वरगीकरण कल उदुदेशूतल ऐतहलसकल रूतल से कतु प्रतनलधलतलव वलले और वंकतल OBC सतुदलतलल के ललल अधकल अवसर प्रदलन करणे हेतु 27% आरकषण के भीतर कुतल प्रदलन करनल है ।

भरत में OBC आरकषण की स्थतलकल ऐतहलसकल वकलस:

- यह तलतुरल वरुष 1953 में कललेलकर आयोग की सुथलतनल के सलथ शुरु हुई, जसलने रलषुदरूतल सुतर पर [अनुसुकतल जलतल](#) (Scheduled Castes- SC) और [अनुसुकतल जनजलतल](#) (Scheduled Tribes- ST) से परे पछलडे वरगूँ कु तलनूतल देने कल पहलल उदलहरण तेश कतलतल ।
- वरुष 1980 में [मंडल आयोग](#) की रलरलरुतल में OBC आबलदी 52% हुणे कल अनुतलन लगलतल गतल थल और 1,257 सतुदलतलल कु पछलडे वरुग के रूतल में

पहचाना गया था।

- असमानता को दूर करने के लिये इसने मौजूदा कोटा (जो पहले केवल SC/ST के लिये लागू था) को 22.5% से बढ़ाकर 49.5% करने का सुझाव दिया, जिसमें OBC को शामिल करने के लिये आरक्षण का वसतिार किया गया।
- इन सफारशियों के बाद केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 16(4) के तहत OBC के लिये केंद्रीय सविलि सेवा में 27% सीटें आरक्षण करते हुए आरक्षण नीतिलागू की।
 - यह नीति अनुच्छेद 15(4) के तहत केंद्र सरकार के शैक्षणिक संस्थानों में भी लागू की गई थी।
- वर्ष 2008 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह सुनिश्चति करते हुए किये लाभ सबसे वंचति लोगों तक पहुँचे, हस्तक्षेप किया और केंद्र सरकार को OBC के बीच "करीमी लेयर (Creamy Layer)" (उन्नत वर्गों) को आरक्षण नीतिके लाभ से बाहर करने का निर्देश दिया।
- वर्ष 2018 में 102वें संविधान संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रीय पछिडा वर्ग आयोग (National Commission for Backward Classes- NCBC) को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया।
 - इसने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में NCBC को उसकी पछिली स्थिति से ऊपर स्थान दिया, जिससे इसे OBC सहति पछिडे वर्गों के हतियों की रक्षा करने में अधिक अधिकार और मान्यता प्राप्त हुई।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष प्रश्न

प्रश्न. भारत के नमिनलखिति संगठनों/नकियाओं पर वचिर कीजयि: (2023)

1. राष्ट्रीय पछिडा वर्ग आयोग
2. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग
3. राष्ट्रीय वधि आयोग
4. राष्ट्रीय उपभोक्ता वविाद नविरण आयोग

उपर्युक्त में से कतिने सांविधानिक नकियाय हैं?

- (a) केवल एक
- (b) केवल दो
- (c) केवल तीन
- (d) सभी चार

उत्तर: (a)

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](#)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/sub-categorisation-of-obcs>